Toppersnotes®
Unleash the topper in you

हरियाणा

P.G.T.

हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC)

भाग - 2

भारतीय शासन एवं राजनीति

SIERRA INNOVATIONS

विषय सूची

भारतीय शासन एवं राजनीति		
1.	भारतीय संविधान	1
	• संविधान सभा	5
	• उद्देशिका	7
	• संविधान की विशेषताएँ	7
	• मौलिक अधिकार	8
	• राज्य नीति के निदेशक तत्व	13
2.	संघवाद : केन्द्र राज्य सम्बन्ध	15
	• संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में संघवाद की गतिशीलता	19
3.	संघ सरकार	20
	• राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति	20
	• प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	26
	• संसद	29
	• उच्च न्यायालय	36
4.	राज्य सरकार	43
	• राज्यपाल	45
	• मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	47
	• विधानमण्डल	50
	• उच्च न्यायालय	52
5.	स्थानीय शासन	54
	• पंचायती राज	56
	• शहरी स्थानीय स्वशासन (अन्य आयोग एवं समितियां)	62
6.	भारतीय राजनीति एवं भारतीय लोगतंत्र की गतिशीलता	82

भारतीय संविधान

किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत लोग शासित होते हैं, के मूलभूत ढाँचे को स्पष्ट करता है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है।

1. व्यवस्थापिका (विधायिका) – मुख्य कार्य कानूनों का निर्माण।
2. कार्यपालिका – व्यवस्थापिका द्वारा बनाये गये कानूनों को लागू करना है।
3. न्यायपालिका – (दोहरी न्यायपालिका)।

- न्यायपालिका पहले ये देखती है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुसार है या नहीं।
- यदि कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो न्यायपालिका उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है।

  नोट –

  - ➢ न्यायपालिका की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहते है।
  - ➢ अनु. 13 न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, हालाँकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस शब्द का उल्लेख नहीं है।
  - ➢ संविधान का महत्व बताते हुए के. एम. मुंशी ने संविधान को 'राज्य की आत्मा' कहा है।
- भारत में अंग्रेज 31 दिसम्बर, 1600 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार प्रदान किए गए। कम्पनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न एक्ट बनाए गये जो इस प्रकार हैं –

1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट

- इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के 'गवर्नर' को बंगाल का 'गवर्नर जनरल' बनाया गया तथा लार्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने।
- इसके द्वारा 26 जुलाई, 1774 को कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
- इसमें एक न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश का प्रावधान था। सर इलिजा इम्प्रे इसके प्रथम न्यायाधीश थे।
- कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय को बन्दी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, त्रुटि विषयक रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त थी।

  नोट –

  - ➢ लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रान्ति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग ही भारत के पहले वायसराय थे।
  - ➢ गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर 'वायसराय कर दिया गया।

1784 का पिट्स इण्डिया एक्ट

- रेग्यूलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम का नाम तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स द यंगर के नाम पर रखा गया।

1833 का चार्टर अधिनियम

- इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तथा उसे समूचे देश का प्रशासन का कार्यभार सौंपा गया।
- लॉर्ड विलियम बैंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए।
- गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद् में चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है।

  नोट – 1833 के चार्टर अधिनियम को सुभाष कश्यप के अनुसार भारत के केन्द्रीय विधानमण्डल की गंगोत्री कहा जाता है।

1853 का चार्टर अधिनियम

- ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था।
- गवर्नर जनरल की परिषद् के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों की अलग व्यवस्था की गई।
- सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा व्यवस्था का शुभारम्भ किया।
- प्रथम बार भारतीय केन्द्रीय विधान परिषद् में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारम्भ किया।

1858 का भारत शासन अधिनियम

नोट – 1853 का चार्टर कम्पनी शासन की समाप्ति का आधार था।

- 1858 के अधिनियम का निर्माण 1857 की क्रान्ति के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है।
- भारत का शासन ब्रिटिश ताज की ओर से चलाने के लिए भारत मंत्री या भारत सचिव पद का सृजन किया गया।
- भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था तथा यह भारत के प्रशासन का निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण करता था एवं सम्पूर्ण भारत के प्रशासन के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था।

  नोट – सर चार्ल्स वुड प्रथम भारत सचिव बने।

1861 का भारतीय परिषद् अधिनियम

- केन्द्रीय तथा प्रान्तों में विधान परिषदों की स्थापना की गई।
- भारत में मंत्रिमण्डलीय व्यवस्था की नींव रखी गई जिसके जनक लॉर्ड कैनिंग माने जाते हैं।
- गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति 1861 के भारतीय परिषद् अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदान की गयी। इस शक्ति का प्रयोग गवर्नर जनरल परिषद् के बिना ही स्व–विवेक से कर सकता था।

1892 परिषद् अधिनियम

- इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार निर्वाचन पद्धति की शुरूआत की गई, परन्तु यह पद्धति परोक्ष निर्वाचन की थी।
- सर फिरोज शाह मेहता पहले निर्वाचित भारतीय सदस्य थे।
- भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने और विधायिका के सामने प्रस्तुत करने की पद्धति वर्ष 1860 में जेम्स विलसन द्वारा प्रारम्भ की गयी।
- पहला बजट 18 फरवरी, 1860 को पेश किया गया था।

1909 का भारतीय परिषद् अधिनियम (मार्ले–मिण्टो सुधार)

- सर अरूण्डेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी, 1909 में पारित किया था।
- मुसलमानों के लिए पृथक तथा साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरूआत हुई।

  नोट –
  - ➢ सर्वप्रथम वर्ष 1895 में तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से भारत में संविधान की माँग की।
  - ➢ लॉर्ड मिण्टो को साम्प्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है।
  - ➢ भारत परिषद् तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद् में प्रथम बार भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।

  नोट –
  - ➢ सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् में विधि सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय बने।
  - ➢ इस अधिनियम से अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' की नीति स्पष्ट होती है।
  - ➢ आर. सी. मजूमदार ने इस अधिनियम को चन्द्रमा की चाँदनी की संज्ञा दी।

1919 का भारत शासन अधिनियम (माण्टेग्यू–चैम्सफोर्ड सुधार)

- इस अधिनियम में सर्वप्रथम 'उत्तरदायी शासन' शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था।
- इस अधिनियम में उद्देशिका (प्रस्तावना), 47 धाराएँ तथा दो अनुसूचियाँ थी।
- इसमें प्रान्तों में द्वैध शासन तथा आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई।
- 1919 का ये अधिनियम भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था का आधार माना जाता है।
- इसके तहत पहली बार लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।

  नोट – लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1919 के सुधारों को 'बिना सूरज का सवेरा' बताया है।

1935 का भारत शासन अधिनियम

- यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस अधिनियम में 14 भाग, 321 धाराएँ तथा 10 अनुसूचियाँ थी।
- 1935 के अधिनियम द्वारा प्रान्तों का दोहरा शासन समाप्त कर दिया गया और इसे केन्द्र में लागू कर दिया।
- इस अधिनियम में 'निर्देशों के उपकरण' का भी उल्लेख था जिन्हें वर्तमान में 'राज्य के नीति निदेशक' तत्व कहा जाता है।

- भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि कहा जाता है क्योंकि लगभग 60% प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गये हैं।
- 1935 के अधिनियम की सातवीं अनुसूची संघ और इकाइयों के मध्य विषयों के बँटवारे से संबंधित है।
  1. संघीय विधायी सूची में – 59 विषय
  2. प्रान्तीय विधायी सूची में – 54 विषय
  3. समवर्ती विधायी सूची में – 36 विषय है।

  नोट – वर्तमान में
  (i) संघीय विधायी सूची में – 100 विषय
  (ii) प्रान्तीय विधायी सूची में – 61 विषय
  (iii) समवर्ती विधायी सूची में – 52 विषय है।

  नोट – पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दासता का नया अधिकार पत्र तथा अनेक ब्रेकों वाली परन्तु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी है।

1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

- 3 जून, 1947 की माउण्ट बेटन योजना के आधार पर भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की गई।
- इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त, 1947 को इसे स्वतंत्र तथा सम्प्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया।
- वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया।
- भारत सचिव के पद की समाप्ति कर दी गई तथा अन्तिम भारत सचिव लॉर्ड लिस्टवेल थे।
- देशी रियासतों को अपनी इच्छानुसार भारत अथवा पाकिस्तान में मिलने अथवा अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।
- इस अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जब तक दोनों अधिराज्यों का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक दोनों अधिराज्यों के शासन का संचालन 1935 के शासन अधिनियम के अनुसार संचालित होगा।
- लॉर्ड माउण्ट बेटन भारत अधिराज्य के प्रथम गवर्नर जनरल बनें तथा जवाहर लाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलायी गयी।

  नोट –
  - ➢ भारत के अन्तिम (प्रथम भारतीय व्यक्ति) गवर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी बने।
  - ➢ 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स द्वारा 'क्रिप्स प्रस्ताव' रखा गया। क्रिप्स प्रस्ताव में इंग्लैण्ड सरकार द्वारा युद्ध की समाप्ति के पश्चात् संविधान सभा के गठन की बात कहीं गई।
  - ➢ पहली बार इंग्लैण्ड सरकार द्वारा भारतीयों के लिए संविधान सभा के गठन की बात का उल्लेख किया गया।

  नोट – महात्मा गाँधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को एक ऐसे चैक की संज्ञा दी जिसका 'बैंक दिवालिया' होने वाला है।

संविधान सभा

- संविधान बनाने का काम करने वाली सभा को संविधान सभा कहा जाता है।
- कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था।
- इसमें अध्यक्ष – सर पैंथिक लॉरेन्स
- दो अन्य सदस्य – ए.वी. एलैक्जेण्डर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स
- कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सदस्य होने चाहिए थे – 389
- ब्रिटिश प्रान्तों से – 292
- कमिश्नरी प्रान्तों से – 4
- देशी रियासतों से – 93
- मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किये जाने के कारण संविधान सभा में 324 सदस्य ही रहे।
- 9 दिसम्बर, 1946 को पहली बैठक में सदस्य – 207
  - कुल महिलाएँ – 15
  - पहली बैठक में – 9
- 15 अगस्त, 1947 को भारत के विभाजन के फलस्वरूप संविधान सभा में 299 सदस्य रहे।
- अन्तिम बैठक में हस्ताक्षर – 284 सदस्यों ने किये।
- संविधान सभा के अस्थाई सदस्य – डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा
- संविधान सभा के स्थाई सदस्य – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (13 दिसम्बर, 1946)

  नोट –
  - सर बी. एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे।
  - उन्होंने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया था।
  - इसमें 6+1 (अध्यक्ष) सदस्य थे।

प्रारूप समिति के सदस्य

अध्यक्ष – डॉ. भीमराव अम्बेडकर

सदस्य –

1. एन. गोपाल स्वामी आयंगर
2. अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर
3. कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी
4. मोहम्मद सादुल्ला
5. एन. माधव राव (इन्हें बी.एल. मिश्र के स्थान पर नियुक्त किया गया)
6. डी.पी. खेतान (1948 में इनकी मृत्यु के पश्चात् टी.टी. कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया)

संविधान सभा की समितियाँ	अध्यक्ष
1. संघ संविधान समिति, राज्य समिति	पं. जवाहर लाल नेहरू
2. प्रान्तीय संविधान समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल

3. संचालन समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
4. झंडा समिति	जे. बी. कृपलानी
5. परामर्श समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
6. मूल अधिकार उप समिति	जे. बी. कृपलानी
7. अल्पसंख्यक उप समिति	एच. सी. मुखर्जी

- सर बी. एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे।
- 15 अगस्त, 1947 को डॉ. अम्बेडकर भारत के पहले विधि मंत्री बने। प्रारूप समिति के समक्ष 7635 संशोधन प्रस्तुत किये गये।
- 26 नवम्बर, 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। इस दिनांक का उल्लेख प्रस्तावना में है, जबकि सम्पूर्ण संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया।

उद्देश्य प्रस्ताव – पं. जवाहर लाल नेहरू ने 13 दिसम्बर, 1946 में 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया।

विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान

- सरकार का संसदीय स्वरूप
- कानून का शासन
- एकल नागरिकता
- विधायिका में अध्यक्ष पद और उनकी भूमिका

} ब्रिटिश संविधान से

- राज्य के नीति निदेशक तत्व
- राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल की व्यवस्था

} आयरलैण्ड के संविधान से

- मौलिक अधिकारों की सूची
- न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति
- संविधान की सर्वोच्चता
- निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग

} अमेरिका से

- उपराष्ट्रपति का पद
- स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धान्त
- गणतन्त्र

} फ्रांस से

- सशक्त केन्द्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था
- अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धान्त

} कनाडा से

- मूल कर्त्तव्य – सोवियत संघ (रूस) से
- शोषण के विरूद्ध अधिकार
    - अनुच्छेद (24)

} यूगोस्लाविया से

उद्देशिका (प्रस्तावना)

- प्रत्येक संविधान के प्रारम्भ में प्रस्तावना का उल्लेख मिलता है। प्रस्तावना संविधान की कुँजी है, जिसमें संविधान के लक्ष्य व आदर्श उद्देश्य होते है। प्रस्तावना संविधान का सार होती है जिसें देखकर हम सारी व्यवस्था को समझ सकते है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 13 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा में जवाहर लाल नेहरू ने रखा था और संविधान सभा में इसे 22 जनवरी, 1947 को पारित किया गया।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को) इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।

नोट – 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष तथा अखण्डता शब्द जोड़े गए।

- **बेरूबाडी मामले (1960)** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है।
- **केशवानन्द भारती बनाम भारत संघ (1973)** में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है तथा यह संविधान की व्याख्या का आधार है। अतः प्रस्तावना को संविधान की आँख कहा जाता है।
- **एस. आर. बोम्मई वाद (1994)** में न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान के मूलभूत ढाँचे का भाग है।
- **न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला** – भारतीय संविधान की प्रस्तावना समूचे संविधान की आत्मा है, शाश्वत और अपरिवर्तनीय। प्रस्तावना में संवैधानिक जीवन की विविधता का भी उल्लेख मिलता है और भविष्य दर्शन भी।
- **ग्रेनविल ऑस्टिन** – प्रस्तावना को संविधान की कुँजी कहते है।
- **के.एम. मुंशी** –''प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्म कुण्डली है।''
- **बार्कर** – ''भारतीय संविधान की प्रस्तावना विश्व के सभी संविधानों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है।''

संविधान की विशेषताएँ

- संविधान जब बनकर तैयार हुआ उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी।
- भारतीय संविधान दुनिया के किसी भी देश के संविधान से सबसे बड़ा संविधान है।
- वर्तमान समय में संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ है, जबकि अमेरिका के संविधान में केवल 7 ही अनुच्छेद है।

- 61वें संवैधानिक संशोधन – (1989) में मतदान के लिए वयस्कता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष निश्चित की गई है।
- 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम–2002 में खण्ड (ञ) जोड़ा गया जिसमें अभिभावकों का यह कर्त्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस प्रकार अब 11 मूल कर्त्तव्य है।

  नोट – अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है।

मौलिक अधिकार

- संविधान के भाग–3 में नागरिकों के 7 मूल अधिकार प्रदान किये गये थे लेकिन वर्तमान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है यथा –
- भाग–3 को भारतीय संविधान का 'मैग्नाकार्टा' कहा जाता है।
- 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त करके 'विधिक अधिकार' बना दिया।
  1. समता का अधिकार (अनु. 14–18) – विधि के समक्ष सभी समान होंगे। यह अवधारणा इग्लैण्ड से ली गई है जो कि एक नकारात्मक अवधारणा है।
  2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19–22)
  3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनु. 23–24)
  4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25–28)
  5. संस्कृति व शिक्षा का अधिकार (अनु. 29–30)
  6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32)

नोट –

- **अनु. 15 –** राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग/जेण्डर, जन्म, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
- **अनु. 15(3)** – राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा।
- **अनु. 15(4)** – शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान कर सकेगा।

नोट –

- **अनु. 15(4)** – यह धारा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई।
- **अनु. 15(5)** – के द्वारा एस.सी., एस.टी. तथा पिछड़े हुये लोगों के लिए 'उच्च शिक्षण' संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

नोट –

- 93वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2006 में यह धारा जोड़ी गई थी।
- अनु. 16 – सभी व्यक्तियों को लोकनियोजन में समान अवसर प्राप्त होंगे।

नोट –

- **अनु. 16** – में यह भी उल्लेखित है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, लिंग तथा उद्‌भव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। (7 आधार है)
  अवसर की समानता का उल्लेख प्रस्तावना में भी है।
- **अनु. 16(3)** – में यह उल्लेखित है कि राज्य चाहें तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। भूमि पुत्र की अवधारणा इसी अनुच्छेद से संबंधित है।
- **अनु. 16(4)** – में यह उल्लेखित है कि सरकार समाज में पिछड़े लोगों तथा जिनका सरकारी नौकरियों में 'अपर्याप्त प्रतिनिधित्व' है, के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकेगी।

नोट –

- भारत में पहली बार आरक्षण – 1892 में
- ओ.बी.सी. (OBC) को आरक्षण मिला – 1989 में
- एस.सी. (SC) व एस.टी. (ST) को सरकारी नौकरियों में आरक्षण वर्ष 1951 से प्राप्त है।
- मण्डल आयोग की सिफारिश पर वी.पी. सिंह सरकार द्वारा 1989 में पहली बार ओ.बी.सी. (OBC) को आरक्षण दिया।
- पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार ने इसके साथ सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया।

नोट –

- 'इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) के मामले में इन दोनों आरक्षणों को चुनौती दी गई।
- इस मामले में निम्न निर्णय दिया गया –
  1. ओ.बी.सी.(OBC) का आरक्षण संवेधानिक है
  2. आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण देना, असंवैधानिक है।
     (आर्थिक पिछड़ापन का उल्लेख संविधान में नहीं है।)

नोट –

- सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने के लिए लाया गया संविधान (124वाँ संशोधन 2019) विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है।
  1. पदोन्नति में किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं होगा।
  2. 'क्रीमिलेयर्स' को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए।

नोट –

- 77वें संविधान संशोधन के द्वारा 1995 में यह प्रावधान किया गया कि एस.सी.(SC) और एस.टी.(ST) को पदोन्नति में यह आरक्षण दिया जा सकता है।
- इस संशोधन के द्वारा 16(4)A नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया।
- 85वें संविधान संशोधन द्वारा 2001 में अनु. 16(4)A में संशोधन करके (वरिष्ठता) शब्द की भी उल्लेख कर दिया गया।
- 81वें संविधान संशोधन द्वारा 2000 में अनु. 16(4)B नामक नया अनु. जोड़ा गया जो कि "Backlog" से संबंधित है।

- **अनु. 17** – इसके तहत अस्पृश्यता/छुआछुत पर रोक लगाई गई है। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए 1955 में 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया था।
  - इसके अलावा एस.सी./एस.टी. के विरूद्ध अत्याचारों को रोकने हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी बनाया गया है।
- **अनु. 18** – इसके तहत सैन्य तथा शिक्षा के अलावा सभी प्रकार की उपाधियाँ समाप्त की गई है।
  - कोई भी भारत का नागरिक सरकार की अनुमति के बिना किसी भी अन्य देश में उपाधियाँ नहीं ले सकता।

नोट –

- 1954 में पहली बार 'भारत रत्न' दिये गये। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के तहत कोई भी व्यक्ति भारत रत्न तथा वैध पुरस्कार का उपयोग अपने नाम के साथ नहीं कर सकता है।
- **अनु. 19** – अनु. 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है।
  - मूल संविधान में सात प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 'सम्पत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता' को समान्त कर दिया गया है।
  - अनु. 19(1) – प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना का अधिकार का भारतीय संविधान में कहीं पर भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है लेकिन इन दोनों को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग माना जाता है।
  - अनु. 19(2) से अनु. 19(6) तक उन बातों का उल्लेख है जिनके आधार पर इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। देश की एकता, अखण्डता, सुरक्षा, विदेशी सम्बन्ध आदि।
- **अनु. 20** – इसके अन्तर्गत 3 बातों का उल्लेख हैं –
  1. जब किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, उस व्यक्ति को उस समय के कानून के तहत ही सजा दी जायेगी।
  2. Back Date का कानून फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है न कि नुकसान में। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती है।
  3. किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरूद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

नोट –

- सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति पर नार्को या ब्रेन मैपिंग जैसे टेस्ट नहीं किये जा सकते।

नोट –

- P.U.C.L. बनाम भारत संघ (2003) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि उम्मीदवारों के पूर्व आचरण की जानकारी नागरिकों को देना, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग है।
- **अनु. 21** – इसके तहत सभी व्यक्तियों को जीवन तथा दैहिक स्वतन्त्रता प्राप्त होगी।
- मेनका गाँधी बनाम भारत संघ (1978) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विदेश जाने के अधिकार को इसमें शामिल माना है।

- P.U.C.L. बनाम भारत संघ 1998 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार इसमें शामिल माना है।
  - राजदेव शर्मा बनाम बिहार राज्य (1998) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मामलों की शीघ्रता से सुनवाई को अनु. 21 में शामिल माना।
  - एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शुद्ध पर्यावरण के अधिकार को भी अनु. 21 के अन्तर्गत मूल अधिकार माना।

नोट –

- मरने का अधिकार अनु. 21 के अन्तर्गत नहीं है। जैनों में प्रचलित 'संथारा' अनु. 21 का उल्लंघन नहीं है बल्कि अनु. 25 में उल्लेखित धर्म के अनुरूप आचरण है।
- **अनु. 21(A)** – में 6–14 वर्ष तक सभी बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- **अनु. 22** – किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय जो अधिकार प्राप्त होते है, उन अधिकारों का उल्लेख अनु. 22 में है।
  - गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार
- **अनु. 23** – इसके तहत बेगार प्रथा तथा मानव के व्यापार पर रोक लगाई गई है।

नोट –

- **अनु. 23** – में यह भी उल्लेखित है कि सरकार चाहे तो राष्ट्रहित में लोगों से काम करवा सकती है।
- **अनु. 24** – व्यवहार में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का श्रम नहीं करवाया जा सकता है।
- **अनु. 25** – इसमें सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता, अपने–अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार व प्रसार करने तथा धर्म के अनुरूप आचरण करने का अधिकार होगा।
- **अनु. 26** – अपनी धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार।
- **अनु. 27** – राज्य किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने हेतु कर देने हेतु बाध्य नहीं कर सकता।
- **अनु. 28** – किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जायेगी।

नोट –

- अरूणा राय बनाम भारत संघ (2003) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि शिक्षण संस्थानों में धर्म का अध्ययन करना संविधान में उल्लेखित पंथ–निरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है।
- **अनु. 29** – सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा।
- **अनु. 30 –** अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है।
- **अनु. 30 –** के कारण 'अल्पसंख्यक' शिक्षण संस्थान शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के दायरे में नहीं आते हैं।

नोट –

- सम्पत्ति के अधिकार का उल्लेख अनु. 31 में था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर अनु. 300(A) के तहत 'विधिक' अधिकार बना दिया।
- **अनु. 32** – यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न 5 याचिकाएँ जारी कर सकता है।

1. **Habeas Corpus (बन्दी प्रत्यक्षीकरण)** – शरीर सहित उपस्थित।
   - ➢ किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बन्दी बना लेने पर उसे छुड़वाने हेतु यह याचिका जारी की जाती है।
2. **Mandamus (परमादेश)** – हम आदेश देते हैं।
   - ➢ किसी भी संस्था द्वारा अपने निर्धारित कार्यों को नहीं करने पर उस संस्था को वे कार्य करने का आदेश देना परमादेश कहलाता है।
3. **Prohibition (प्रतिषेध)** – रोकना या निषेध करना।
   - ➢ किसी संस्था द्वारा अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने पर उसे रोकने हेतु ये याचिका जारी की जाती है।
4. **Certiorari (उत्प्रेषण)** – प्रमाणित करना या सूचना देना।
   - ➢ इसके अन्तर्गत उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों से किसी भी विषय को अपने पास मँगवा सकता है तथा उस संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है।
5. **Quo - Warranto (अधिकार–पृच्छा)** – किस अधिकार से
   - ➢ किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से किसी पद को ग्रहण कर लेने पर उसे हटाने हेतु यह याचिका जारी की जाती है।

नोट –

- अनु. 32 में प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉ. अम्बेडकर ने 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा है।
- सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिकाएँ जारी कर सकता है जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ–साथ अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए भी याचिकाएँ जारी करने का अधिकार रखता है।
- उच्च न्यायालय अनु. 226 के तहत 6 याचिकाएँ जारी कर सकता है –
- अनु. 226 के तहत 'इंजक्कशन' नामक याचिका उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। इस याचिका के तहत उच्च न्यायालय 'अन्तरिम राहत' उपलब्ध करवाता है।
- **अनु. 33** – इसमें यह उल्लेखित है कि संसद कानून बनाकर सेना, अन्वेक्षण/खुफियागिरी तथा लोक व्यवस्था से संबंधित (पुलिस) लोगों के मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है।
- **अनु. 34** – यदि देश में मार्शल लॉ (सैन्य कानून) स्थापित हो जाये तो लोगों के मौलिक अधिकारों को हुए नुकसानों की क्षतिपूर्ति करने के लिए संसद कानून बना सकती है।
- **अनु. 35** – अनु. 16(3), अनु. 33, अनु. 32(3) तथा अनु. 34 के संदर्भ में सभी कानून संसद द्वारा बनाये जायेंगे। राज्य विधान मण्डल का इस सन्दर्भ में कोई अधिकार नहीं होगा।

मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर पीड़ित व्यक्ति अनु. 32 जो कि स्वयं में मूल अधिकार है, उसके अन्तर्गत सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, परन्तु उपरोक्त अधिकारों के उल्लंघन के मामले में व्यक्ति इस संविधानिक उपचार को प्रयुक्त नहीं कर सकता। वह सामान्य मुकदमों या अनु. 226 के तहत केवल उच्च न्यायालय में जा सकता है।

राज्य के नीति–निदेशक तत्व

भाग – 4, अनु. (36–51) – डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, ''ये भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएँ है। इसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है।''

नोट –

- चम्पाकम दौराई बनाम मद्रास राज्य (1950) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नीति–निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी थी।
  - 1969 में इन्दिरा गाँधी सरकार द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
- रूस्तम कवासजी बनाम भारत संघ (1970) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण को असंवैधानिक बतलाया।
- मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों को एक–दूसरे के पूरक बतलाया।
- **अनु. 36** – इसके अन्तर्गत 'राज्य' शब्द को परिभाषित किया गया है।
- **अनु. 37** – नीति–निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है लेकिन राज्य नीतियाँ बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा।
- **अनु. 38** – राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की प्राप्ति हो सके तथा लोक कल्याण की स्थापना हो सके।
- **अनु. 39** – इसमें छः बातों का उल्लेख हैं –
  1. सभी स्त्रियों और पुरुषों का आजीविका के समान अवसर।
  2. अधिकतम लोगों का अधिकतम हित।
  3. राज्य आर्थिक संसाधनों के केन्द्रीकरण पर रोक लगायेगा।
  4. सभी स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन।
  5. सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा।
  6. राज्य बच्चों को स्वस्थ व गरिमायुक्त वातावरण उपलब्ध करवायेगा।
- **अनु- 39(A)** – राज्य सभी व्यक्तियों को निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध करवायेगा।

नोट –

- इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987' बनाया गया था।
- 9 नवम्बर, 1995 को यह कानून लागू हुआ इस कारण से 9 नवम्बर को प्रतिवर्ष 'विधिक सेवा दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
- 5 दिसम्बर, 1995 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना हुई।

- **अनु. 40** – राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा।
  - ➢ अनु. 40 गाँधी के 'ग्राम स्वराज' की अवधारणा से संबंधित है।
- **अनु. 41** – राज्य आर्थिक क्षमताओं तथा विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए सभी लोगों को काम, शिक्षा तथा लोक सहायता उपलब्ध करवायेगा।
- **अनु. 42** – प्रसूति सहायता उपलब्ध करवायेगा।
- **अनु. 43** – राज्य सभी व्यक्तियों के निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध करवायेगा।
- **अनु. 43(A)** – को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोडा गया था।
- **अनु. 43(A)** – राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा।

नोट –

- भारत में ट्रेड यूनियन का आधार अनु. 43(A) ही है।
- **अनु. 43(B)** – राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा।
  इसे 97वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2012 में जोड़ा गया था।
- **अनु. 44** – राज्य सभी लोगों के लिए 'समान नागरिकता' संहिता की स्थापना करेगा।
- **अनु. 45** – राज्य 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा तथा उनकी बाल्यावस्था की देखभाल की व्यवस्था करेगा।

नोट –

- 86वें संविधान संशोधन से पूर्व इस अनुच्छेद में 6–14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख था।
- **अनु. 46** – राज्य समाज के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा।
- **अनु. 47** – राज्य सभी व्यक्तियों के लिए पोषण युक्त भोजन की व्यवस्था करेगा।
- **अनु. 48** – राज्य कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करेगा और उनमें सुधार करेगा। सभी प्रकार के पशुओं तथा गाय के वध पर रोक लगाई है।
- **अनु. 48(A)** – इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया।
  - ➢ इसमें राज्य, पर्यावरण का संरक्षण करेगा तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा।
- **अनु. 49** – राज्य राष्ट्रीय स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को संरक्षण प्रदान करेगा।
- **अनु. 50** – राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करेगा।
- **अनु. 51** – राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करने का प्रयास करेगा।
- अनु. 51 भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है। इस अनुच्छेद में 'शांतिपूर्ण सहअस्तित्व' शब्द का उल्लेख नहीं है।

अन्य तथ्य

- **प्रो. के.टी.शाह** – ''नीति–निदेशक तत्व एक ऐसा चैक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है।''
- **सर आइवर जैनिंग्स** – ''इन तथ्यों को पुण्य आत्माओं की महत्वकांक्षा की संज्ञा दी।''
- प्रारूप समिति के सदस्य टी.टी. कृष्णामाचारी इन तथ्यों को 'कूड़ेदान' में डालने की बात करते है।
- ''नीति निदेशक तत्व को सामाजिक क्रान्ति के प्रतीक कहते है।'' – **ग्रेनविन ऑस्टिन**

- ''नीति निदेशक तत्व व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच टकराव के कारण बनेंगे, जिससे संविधान कमजोर होगा।'' – **के.सी. व्हियरे।**

मूल कर्त्तव्य

भाग – 4(A), अनु. 51(A)

- मूल संविधान में मूल कर्त्तव्यों का उल्लेख नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में इन्हें जोड़ा गया था।
- उस समय इनकी संख्या 10 थी।
- 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11वाँ मूल कर्त्तव्य जोड़ा गया था।
- 11 मूल कर्त्तव्य निम्न हैं –
  1. सभी नागरिकों का यह कर्त्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करें।

     नोट – ''राष्ट्रीय महत्त्व के स्थान' का उल्लेख नीति–निदेशक तत्वों में है। (अनु. 49 में)

     'राष्ट्रीय गीत' शब्द का उल्लेख यहाँ नहीं है।
  2. स्वतन्त्रता को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोये रखे।
  3. देश की सम्प्रभुता, एकता, अखण्डता की रक्षा करें।
  4. देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
  5. देश में समरसता तथा समान बन्धुत्व की भावना को बनाए रखे।

     नोट – 'बन्धुत्व' शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में भी है।
  6. देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा को समझें और उसे बनाए रखे।
  7. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें तथा वन, वन्यजीव, नदियों व झीलों की रक्षा करें।
  8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास करना।
  9. सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करें और हिंसा न करें।
  10. सभी अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें।
  11. सभी माता–पिता और अभिभावकों का यह कर्त्तव्य है कि वे अपने 6–14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाये।

     नोट – 32(A), 131(A), 257(A) 44 वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिये गये।

संघवाद

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–1 में कहा गया है कि ''भारत राज्यों को संघ'' है।

संघीय सरकार	एकात्मक सरकार
1. दोहरी सरकार (केन्द्र+राज्य)	1. एकल सरकार (केन्द्र सरकार)
2. लिखित संविधान	2. लिखित या अलिखित दोनों
3. शक्तियों का बँटवारा	3. बँटवारा नहीं, केवल केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियाँ
4. संविधान की सर्वोच्चता	4. संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है और नहीं भी
5. कठोर संविधान	5. कठोर या लचीला
6. स्वतंत्र न्यायपालिका	6. स्वतंत्र या नहीं
7. द्वि–सदनीय विधानमण्डल	7. द्वि–सदनीय/एक सदनीय